67

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 2165–तीन/2014 – विरूद्ध आदेश दिनांक 17–7–2014 – पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण क्रमांक 1168/12–13 अपील

उपेन्द्रनाथ पुत्र स्व. नरेन्द्रनाथ चतुर्वेदी
मुकुन्द वाग कचेहरी रोड रीवा तहसील
हुजूर जिला रीवा मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

1– धर्मेन्द्रनाथ 2– बन्दना पुत्रगण
स्व.गजेन्द्र नाथ चतुर्वेदी
3– श्रीमती उषा पत्नि स्व. गजेन्द्र नाथ चतुर्वेदी
निवासीगण मुकुन्द वाग कचेहरी रोड रीवा तहसील
हुजूर जिला रीवा मध्य प्रदेश ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री के0के0द्विवेदी)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री जे.एस.गौड़)

आ दे श

(आज दिनांक 25–06 –2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 1168/12–13 अपील में पारित आदेश दिनांक 17–7–2014 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदकगण के पिता/पति स्वर्गीय गजेन्द्रनाथ ने खसरा नं. 308 प्लाट नं. 3506 रकबा 3.44 ए. स्थित मुकुन्दवाग कचेहरी रोड रीवा के नामान्तरण का आवेदन तहसीलदार नजूल रीवा

को प्रस्तुत किया। तहसीलदार नजूल रीवा ने प्रकरण क्रमांक 21 अ-6/2001-02 पॅजीबद्ध किया तथा आदेश दिनांक 27-5-2006 पारित करके रकबा 3.08 जिसका प्लाट नं. 3506 रकबा 2.94 में से 1.14 (3.06 ए. के 1/2 भाग से 0.12 कम) पर गजेन्द्रनाथ का तथा 1.53 ए. (मूल रकबा 3.06 ए. का 1/2 भाग) उपेन्द्रनाथ के नाम नामांत्रण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध नजूल अधिकारी रीवा के समक्ष आवेदकगण ने अपील प्रस्तुत की । नजूल अधिकारी रीवा ने प्रकरण क्रमांक 12 अ 6 /2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 16-3-2016 से (मान.उच्च न्यायालय के निर्णयाधीन रखते हुये) अपील निरस्त कर दी। अनावेदकगण ने इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपील प्रचलन के दौरान आवेदक की ओर से इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई कि माननीय उच्च न्यायालय में इसी भूमि को लेकर अपील प्रचलित है इसलिये प्रकरण की कार्यवाही स्थगित कर दी जावे। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 1168/12-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 17-7-2014 से आपत्ति आवेदन खारिज करते हुये प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत कर दिया। अपर आयुक्त के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को के क्रम में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख अनुसार प्रकरण में देखना यह है कि क्या माननीय उच्च न्यायालय में उभय पक्ष के बीच वाद विचारित भूमि के सम्बन्ध में प्रचलित द्वित्तीय अपील क्रमांक 704/2004 लम्बित होने के आधार पर राजस्व न्यायालय में प्रचलित नामान्तरण कार्यवाही के प्रकरण को रोक दिया जाना चाहिये। नामान्तरण प्रकिया केवल अभिलेख के अद्धतीकरण रखे जाने की जाने वाली कार्यवाही है नामान्तरण कार्यवाही से किसी व्यक्ति को स्वत्वाधिकार प्रदान नहीं किया जाता है , माननीय उच्च न्यायालय से वाद विचारित भूमि के सम्बन्ध में जो आदेश होंगे, राजस्व न्यायालय पालन हेतु बाध्य है , जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा

व्दारा प्रकरण कमांक 1168/12-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 17-7-2014 से लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 1168/12-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 17-7-2014 से लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर